न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, कक्ष संख्या 3, गाजीपुर।
सेशन परीक्षण संख्या 1 सन् 2017 ई.,
उत्तर प्रदेश राज्य प्रति रामछपित यादव आदि,

दिनांक : 05.10.2017 ई.

सेशन परीक्षण पेश हुआ। पुकार पर अभियुक्तगण 1. रामछपित यादव,2. रामअशीष यादव, 3. रामप्रवेश यादव उर्फ धनजी, 4. तेज बहादुर यादव, 5. रामबहादुर यादव, 6. राकेश यादव एवं 7. रमेश यादव अधिवक्ता सहित उपस्थित हैं।

आरोप विरचन के बाबत उभयपक्षों के तर्कों को सुना।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का खुलासा करते हुए उन साक्ष्यों का वर्णन किया गया जिन्हें अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

पत्रावली के परिशीलन से अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध इस बात की उपधारणा करने का पर्याप्त आधार है कि उन्होने प्रथम दृष्टया रूप से धारा 147, 148, 307/149, 323/149 336/149, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध कारित किया हैं।

तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तों ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की याचना की।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक ई. को पेश हो। अभियोजन साक्षी नियत तिथि हेतु तलब हों।

(संजीव कुमार सिन्हा),
अपर सेशन न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 3,
गाजीपुर।

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, कक्ष संख्या 3, गाजीपुर।
सेशन परीक्षण संख्या 01 सन् 2017 ई.,
उत्तर प्रदेश राज्य प्रति रामछपित यादव एवं अन्य,

आरोप

मैं संजीव कुमार सिन्हा, अपर सेशन न्यायाधीश, कक्ष संख्या 3, गाजीपुर एतद् द्वारा आप 1. रामछपित यादव, 2. रामअशीष यादव, 3. रामप्रवेश यादव उर्फ धनजी, 4. तेज बहादुर यादव, 5. रामबहादुर यादव, 6. राकेश यादव एवं 7. रमेश यादव को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ :–

प्रथम– यह कि आप लोग दिनांक 23.05.2015 को समय 10:30 बजे दिन, वादी मुकदमा काशीनाथ यादव का घर बहद ग्राम कमसड़ी (बखरिया डीह) स्थित अंतर्गत थाना करीमुद्दीनपुर, जनपद गाजीपुर में एक राय एवं एक गोल बनाकर लाठी–डण्डा से लैस होकर आए और मौके पर हिंसा का प्रयोग कर लोक शांति भंग की। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त वर्णित दिनांक, समय एवं स्थान पर आप लोग एक राय एवं एक गोल बनाकर जानलेवा शस्त्र कट्टा से लैस होकर आए और मौके पर हिंसा का प्रयोग कर लोक शांति भंग की। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि आप लोगों ने उपरोक्त वर्णित दिनांक, समय एवं स्थान पर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में स्वेच्छया यह जानते हुए कि आप द्वारा पहुॅचायी गयी आग्नेयास्त्र के फायर की चोट से, यदि वादी मुकदमा के भतीजा मनोज यादव की मृत्यु हो जाती, तो आप हत्या के दोषी होते, आपने स्वेच्छया आग्नेयास्त्र से मनोज यादव पर लक्ष्य कर जान से मारने की नीयत से गोली चलायी जो उसके बॉह में लगी जिससे वह घायल हो गया। इस प्रकार आपने उसका जान मारने का प्रयास किया। आप लोगों का यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 149 के तहत दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि आप लोगों ने उपरोक्त वर्णित दिनांक, समय एवं स्थान पर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में स्वेच्छया लाठी–डण्डा से मारकर रामबशिष्ठ आदि को साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/149 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

पंचम– यह कि आप लोगों ने उपरोक्त वर्णित दिनांक, समय एवं स्थान पर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में स्वेच्छया ईट पत्थर चलाकर रामबशिष्ठ आदि को उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336/149 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्ट्म– यह कि आपने उपरोक्त वर्णित दिनांक, समय एवं स्थान पर उपरोक्त चुटहिलों को भद्दी–भद्दी गालियॉ देकर इस आशय से प्रकोपित किया कि लोक शांति भंग हो। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

सप्तम्– यह कि आपने उपरोक्त वर्णित दिनांक, समय एवं स्थान पर उपरोक्त चुटहिलों को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोप के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक : 05.10.2017 ई.

(संजीव कुमार सिन्हा),
अपर सेशन न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 3,
गाजीपुर।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उन्होने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की याचना की।

दिनांक : 05.10.2017 ई.

(संजीव कुमार सिन्हा),
अपर सेशन न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 3,
गाजीपुर।